उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–13/2019/सी0एम0-184/एक–1–2019–रा0–1
लखनऊः दिनॉकः 05 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र संख्या-688/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019, दिनांक 14 मई, 2019 एवं पत्र संख्या-689/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019, दिनांक 14 मई, 2019 द्वारा क्रमशः प्रस्तावित किया गया कि मेसर्स बैस्टील सोलर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को जनपद जालौन एवं मीरजापुर में 70-70 मेगावाट क्षमता तथा मेसर्स इडेन रिन्यूएबल जैसमीन प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा जनपद चित्रकूट में 50 मेगावाट की सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु बिड के आधार पर आवंटन किया गया है। उक्त दोनों कम्पनियां इण्डिया कम्पनी एक्ट-2013 के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियां है, किन्तु इन कम्पनियों शत्-प्रतिशत शेयर विदेशी संस्थाओं (EDFEN India एवं EREN India) के है। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 90 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार भूमि क्रय हेतु विहित अनुमति प्रदान की जाए।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, वर्ष, 2012) की धारा–90 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मेसर्स बैस्टील सोलर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को 70-70 मेगावाट क्षमता की 02 सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु क्रमशः जनपद जालौन स्थान उरई व मीरजापुर तथा मेसर्स इडेन रिन्यूएबल जैसमीन प्रा0 लि0, नई दिल्ली को 50 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु जनपद चित्रकूट में भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्थाओं द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित भारत सरकार के तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियमों तथा एफ0डी0आई0 व एफ0आई0पी0बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग-अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्थाओं के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग-अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का होगा।

(3) संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित 2019 की धारा 89 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति का प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी व संस्था द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधरों की भूमि क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था को क्रय की गयी भूमि के किसी भी प्रकार के अन्तरण का अधिकार नहीं होगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन पर संस्था द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(8) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, विध्यांचल, मीरजापुर/ चित्रकूटधाम, चित्रकूट/झांसी मण्डल, झांसी ।
4. जिलाधिकारी, मीरजापुर/चित्रकूट/जालौन स्थान उरई।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स बैस्टील सोलर प्रा0 लि0, नई दिल्ली, यूनिट नं0-236, फस्ट फ्लोर, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017।
7. प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स इडेन रिन्यूएबल जैसमीन प्रा0 लि0, नई दिल्ली, यूनिट नं0-236, फस्ट फ्लोर, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ-226001।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0 वी0 सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।